



भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, तखनऊ - 226006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक

माननीय श्री राज्यपाल

उ० प्र०

उप मुख्य संरक्षक

माननीय मुख्यमंत्री

उ० प्र०

अध्यक्ष

डॉ महेन्द्र सिंह

पूर्व मन्त्री "जल शक्ति"
उ० प्र०

मुख्यायुक्त

डॉ प्रभात कुमार

आई०ए०एस०(सेनेच०)

पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या - O.S.D./C.C.F..... / १५१८... / २०२२-२३

दिनांक ०९-११-२०२२

समस्त जिला मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

विषय:- चीफ कमिशनर फैलोशिप के अंतर्गत प्रोजेक्ट के संबंध में।

महोदय / महोदया

उपरोक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यालय के पत्र सं० ओ०ए०ड०० / सी०सी०ए०० / ५५४ दिनांक ८.७.२०२२ का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के संबंध में सूच्य है कि चीफ कमिशनर फैलोशिप प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि २० अगस्त, २०२२ तक केवल २ प्रोजेक्ट ही प्राप्त हुए हैं।

अस्तु चीफ कमिशनर फैलोशिप प्रोजेक्ट की तिथि बढ़ाकर ३१.१२.२०२२ की जाती है। चीफ कमिशनर फैलोशिप प्रोजेक्ट हेतु नियमों की प्रति पुनः सलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने जनपद से उक्त प्रोजेक्ट के लिए आवेदन २ प्रतियों में हार्ड कापी में प्रेषित करते हुए इसकी प्रति प्रादेशिक मुख्यालय की ई मेल upscoutsguides@yahoo.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उक्त

(डॉ प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१-समस्त प्रादेशिक आयुक्त भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

२-प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

३-विशेष कार्याधिकारी, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

४-प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

५-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।

६-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

७-समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर (स्काउट/गाइड) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

८-सहायक प्रादेशिक संगठन (आई.टी.) को इस आशय से कि उक्त पत्र को प्रदेश की बेबसाइट पर अपलोड करें।

(डॉ प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत रँकाउट और गाइड, उत्तर प्रदेश



-: Chief Commissioner's Fellowship :-

प्रादेशिक मुख्यालय : गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

E mail : upscoutsguides@yahoo.com

Contact No. 0522-4323838

Website : www.bsgup.org

Chief Commissioner's Fellowship

चीफ कमिशनर्स फेलोशिप

स्काउटिंग या स्काउट आन्दोलन एक स्वयंसेवी, गैर राजनीतिक एवं शैक्षिक आन्दोलन है जो सामाजिक गतिविधियों तथा जीवन निर्वाह कौशल पर बल देता है तथा किसी भी रंग, मूल अथवा जाति के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को मानवता की सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करना है ताकि वे समाज तथा राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। सभी नागरिकों को मानवता और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर तथा गतिशील रहना चाहिए। स्काउटिंग और गाइडिंग, युवा वर्ग के अन्दर दृढ़ निश्चय, अनुशासन, कठिन परिश्रम तथा समाज और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। यह व्यक्ति में उत्कृष्ट मानवीय गुणों का विकास करता है। यह एक विधा ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संगठन कई विश्वव्यापी युवा संगठनों में से एक है।

स्काउटिंग एवं गाइडिंग के क्षेत्र में निःस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचान देने के उद्देश्य से उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार एवं सम्मान दिये जाने की व्यवस्था है। इस क्षेत्र में स्काउट एवं गाइड द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए तथा समाजसेवा एवं विकास के लिए विशेष कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह फैलोशिप योजना प्रारम्भ की जा रही है।

फैलोशिप के उद्देश्य:-

1. स्काउटिंग एवं गाइडिंग के क्षेत्र में किये जा रहे समाज/राष्ट्र के लिए लाभकारी प्रयासों एवं कार्यों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. स्काउटर एवं गाइडर द्वारा किए गये नवाचार/कक्षा शिक्षण के प्रयोगों आदि को चिन्हित कर उन्हें **replicate** तथा **upscale** करना।
3. स्काउटिंग एवं गाइडिंग से सम्बन्धित समस्याओं की पहचान कर उनके निराकरण के लिए स्काउटर/गाइडर को शोध के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
4. किशोर/किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए **Innovative Project** विकसित करना तथा क्रियान्वित करना।
5. पर्यावरण सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं को चिन्हित कर उनके लिए **innovative, affordable** तथा **implementable** हल विकसित करना।
6. विभिन्न अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर व सहयोग लेकर विभिन्न समस्याओं पर **Collaborative** तथा **innovative** कार्यक्रम तैयार व क्रियान्वित करना।
7. स्काउट तथा गाइड का प्रचार प्रसार करते हुए नये यूनिट्स के गठन के लिए **innovative** तरीके अपनाते हुए बड़ी संख्या में यूनिट्स का गठन कराकर स्काउट्स तथा गाइड्स की संख्या में बढ़ोत्तरी कराना।

फेलोशिप कार्यक्रम निम्नवत् संचालित किया जायेगा :—

1. प्राजेक्ट / शोध प्रस्ताव आमंत्रित किया जायेगा।
2. इच्छुक जिला स्काउट/गाइड संगठन/व्यक्तियों/समूहों द्वारा फैलोशिप हेतु प्राजेक्ट/शोध प्रस्ताव की संक्षिप्त रिपोर्ट (रूपरेखा/कार्ययोजना) प्रेषित की जायेगी।
3. प्राजेक्ट/शोध प्रस्तावों का विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन किया जायेगा।
4. Shortlist किये जाने के उपरान्त फाइनल प्राजेक्ट/शोध वर्क के प्रस्तुतीकरण हेतु राज्य समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।
(राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन प्रादेशिक मुख्यायुक्त, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा)
5. प्रादेशिक चयन समिति द्वारा आयोजित सेमिनार में फाइनल प्राजेक्ट रिपोर्ट की प्रस्तुति एवं उसके मूल्यांकन की रेटिंग के आधार पर फेलोशिप हेतु प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा अन्तिम चयन किया जायेगा।

फेलोशिप योजना में सम्मिलित होने हेतु अर्हता

1. न्युनतम 06 सदस्यों का दल जिसमें कई युनिट लीडर/युनिट के सदस्य सम्मिलित हैं तथा वे प्रादेशिक संस्था द्वारा पंजीकृत तथा अद्यतन नवीनीकृत हों।

फेलोशिप की संख्या, अवधि एवं धनराशि:—

प्रति वर्ष कमिशनर्स फेलोशिप की अधिकतम संख्या 10, अवधि 06 माह से 01 वर्ष तथा अधिकतम धनराशि रु 01 लाख प्रति फेलोशिप रहेगी।

नोट— फेलोशिप की संख्या व प्रति फेलोशिप धनराशि को प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट चयन की विशेषताएँ:—

1. सम्पूर्ण कार्य व्यवहारिक, स्थलीय और स्काउटिंग एवं गाइडिंग उपयोगी होना अनिवार्य है।
2. प्राजेक्ट लेखन और प्रोजेक्ट के लागू होने में समस्त वैज्ञानिक चरणों/प्रक्रियाओं का अनुपालन आवश्यक है।
3. प्राजेक्ट रिपोर्ट मौलिक हो जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सुझाव वाले या अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किये गये अंतिम शोध पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, योजना के चरण, योजना के परिणाम हेतु प्रयोग एवं विधियाँ, उनके ऑकड़े, ऑकड़ों का विश्लेषण आवश्यक होगा।
5. प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी योजना के उद्देश्य, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, अनुमानित परिणाम, स्काउटिंग एवं गाइडिंग के क्षेत्र में इस प्राजेक्ट की उपयोगिता के बारे में सक्षिप्त जानकारी हो।

सम्भावित कार्य क्षेत्र

प्राजेक्ट कोआर्डिनेटर के द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रोजेक्ट/शोध निम्नांकित किसी विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित हो सकता है :-

1. स्थानीय समुदाय/परिवेश से प्राप्त संसाधनों के प्रयोग से व्यक्तियों को अच्छे कार्य करने हेतु सक्रिय करना।
2. विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर वातावरण सुधार के लिए नवाचारी रणनीतियों को विकसित करना।
3. किशोर/किशोरियों के स्वास्थ्य एवं मानवीय मूल्यों के विकास हेतु रणनीतियों को विकसित करना।
4. ऐसे समूहों को संवेदनशील बनाना तथा उनका सशक्तिकरण करना जो समुदाय में अपवंचित रिस्थिति में हो।
5. अन्तर वैयक्तिक सम्बन्धों में विकास करना।
6. कमजोर वर्ग के बच्चों/युवाओं के विकास एवं स्थानीय समस्याओं के कार्य।
7. पर्यावरण, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य/समाधान

नोट:- प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का संक्षिप्त प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट-1)

प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर जिन्हें प्राजेक्ट पर कार्य करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकार पत्र निर्गत किया गया हो, अपने प्रस्ताव को क्रियान्वित करेंगे। क्रियान्वयन के दौरान प्रादेशिक मुख्यायुक्त नामित प्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा प्राजेक्ट समन्वयक/सदस्य के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा।

अन्तिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जमा किया जाना

निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व अन्तिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ पूर्ण रूप से प्रविष्ट की गयी प्रत्येक परिशिष्ट की प्रतिलिपि, जिला संस्था के माध्यम से अथवा सीधे भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 प्रादेशिक मुख्यालय, स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ को मूल्यांकन हेतु प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रदेश स्तर पर आयोजित सेमिनार में प्रादेशिक चयन समिति के समक्ष प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर द्वारा प्राजेक्ट रिपोर्ट की प्रस्तुति एवं उसके मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा फलौशिप हेतु प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर का अन्तिम चयन किया जायेगा। फलौशिप हेतु प्राप्त प्रस्तावों की अन्तिम प्राजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन प्रादेशिक आयुक्त द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। प्रादेशिक मुख्यायुक्त के अनुमोदनोपरान्त प्राजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया जायेगा।

अन्तिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन

फलौशिप हेतु प्राप्त प्रस्तावों की अन्तिम प्राजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन प्रादेशिक आयुक्त द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। प्रादेशिक मुख्यायुक्त के अनुमोदनोपरान्त प्राजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया जायेगा।

प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का संक्षिप्त प्रारूप

प्राजेक्ट रिपोर्ट मे निम्नवत् सम्मिलित होना चाहिए:-

I. प्रोजेक्ट का नाम

II. उत्पत्ति

III. प्रोजेक्ट के उद्देश्य जिसमे प्रोजेक्ट की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख हो।

IV. प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तैयारी अथवा खाका।

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर प्रोजेक्ट के सम्पादन हेतु की गयी प्रारम्भिक गतिविधियों का उल्लेख कर सकते हैं। स्पष्टतः तैयारी कार्य में वांछित संसाधनो—मानवीय तथा सामग्री सम्बन्धी प्रयोग को सम्मिलित कर सकते हैं।

V. प्राजेक्ट का क्रियान्वयन

प्राजेक्ट कोआर्डिनेटर द्वारा यह उल्लेख किया जाये कि प्रोजेक्ट को कैसे क्रियान्वित किया जायेगा और विभिन्न चरणों में कौन सी गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा। प्रोजेक्ट का शीर्षक तथा प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाये। इस सम्बन्ध में सीमाएँ तथा समस्याएँ या कठिनाइयाँ, यदि कोई है, का भी उल्लेख किया जाए।

VI. परिणाम/सम्प्राप्ति

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर को प्रोजेक्ट के संचालन के द्वारा प्राप्त होने वाले सम्बावित परिणाम/परिणामो/Deliverables का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

VII. निष्कर्ष

VIII. प्रोजेक्ट की कार्य अवधि तथा माइलस्टोन

IX. प्रोजेक्ट का बजट (विस्तृत विवरण सहित)

प्रोजेक्ट कवर लैटर

1. प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

Dr./Mrs./Mr./Ku.

डॉ/ /श्रीमती/ /श्री/ /कु0..... (हिन्दी में)

2. समूह/संस्था का नाम.....

3. पत्राचार हेतु पता.....

विकास खण्ड जनपद पिनकोड
फोन / मोबाइल नं0 ई-मेल आई.डी.

4. संस्था का स्तर (टिक का चिह्न लगायें)

क. प्राथमिक स्तर (परिषदीय/राजकीय/राज्य अनुदानित/मान्यता प्राप्त)

ख. उच्च प्राथमिक स्तर (परिषदीय/राजकीय/राज्य अनुदानित/मान्यता प्राप्त)

ग. माध्यमिक स्तर (राजकीय/राज्य अनुदानित/शासकीय/मान्यता प्राप्त)

घ. अन्य (उल्लेख करें)

5. प्राजेक्ट का शीर्षक (हिन्दी में).....

प्रोजेक्ट का शीर्षक (अंग्रेजी में).....

6. प्रेषित की गयी प्रतियों की संख्या

7. रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या.....

नोट : कम से कम दो प्रतियों

हस्ताक्षर

प्राजेक्ट कोआर्डिनेटर

परिशिष्ट-3

प्राजेक्ट कोआर्डिनेटर द्वारा प्रमाण-पत्र

में

प्रस्ताव जिसका शीर्षक.....

प्रमाणित करता/ करती हूँ कि प्रोजेक्ट


मेरा तथा मेरे टीम के सदस्यों का मूल कार्य है तथा इसका प्रयोग / उपयोग किसी अन्य जगह
नहीं किया हो तथा न ही कही अन्य से कापी किया गया हो।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर
(नाम बड़े अक्षरों में)



भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, प्रादेशिक मुख्यालय, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ।

फोन नं. 0522 -4323838

ई-मेल—upscoutsguides@yahoo.com

Application for Commissioner's Fellowship

कमिशनर्स फेलोशिप हेतु आवदेन—पत्र

निर्देश—

- यह प्रपत्र केवल प्रादेशिक संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाली फेलोशिप के लिए हैं।
- आवदेन पत्र की तीन प्रतियाँ प्रमाणकों सहित जिला संस्था की संस्तुति हेतु प्रस्तुत करें; जो 02 प्रतियाँ प्रादेशिक मुख्यालय को जिला मुख्यायुक्त की संस्तुति के साथ उपलब्ध करायगे—

- नाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर : _____
- जन्म तिथि : _____
- व्यवसाय : _____
- आवासीय पता, ईमेल, फोन नं0 : _____
- विद्यालय / समूह / संस्था का नाम : _____
- जनपद : _____
- शैक्षिक योग्यता : _____
- स्काउटिंग / गाइडिंग में योग्यता : _____
- वर्तमान में स्काउटिंग / गाइडिंग में किस पद पर कार्यरत है : _____
(अधिकार पत्र के विवरण सहित)

❖ आवेदन पत्र की एक अग्रिम प्रति प्रादेशिक मुख्यालय की ईमेल chiefcomm.fellowship@gmail.com पर सीधे भी भेजी जा सकती है।

समूह के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	नाम	स्काउटिंग योग्यता	प्रमाण पत्र संख्या	दिनांक	मोबाइल नम्बर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6					

-: घोषणा :-

मैं (नाम) _____ घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं। यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है तो प्रदत्त फैलोशिप किसी भी समय संस्था द्वारा वापस किया जा सकता है।

कोआर्डिनेटर के हस्ताक्षर _____
पता व फोन नं० _____

नोट— आवेदन पत्र में दर्शायी गयी सूचनाओं के अनुसार प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करें

जिला संस्था के प्रयोगार्थ

जिला संस्था प्रोजेक्ट को चीफ कमिशनर्स फैलोशिप के लिए संस्तुत करती है / नहीं करती है।

ह0

जिला मुख्यायुक्त
मुहर

प्रादेशिक मुख्यालय के प्रयोगार्थ

फैलोशिप कमेटी को संस्तुति

ह0

अध्यक्ष

फैलोशिप कमेटी

ह0

प्रा.संग.कमि.(स्का०/गा.)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त के प्रयोगार्थ

स्वीकृत /अस्वीकृत

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट / गाइड, उ०प्र०